प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में श्रीमान महानिबन्धक महोदय
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

विषय : प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 को निरस्त (Expunge) कर उचित प्रविष्टि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2023-2024 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि जो दिनॉक 05.06.2024 को दी गयी है, इस प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को निरस्त (Expunge) करने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता है, जो निम्नवत हैः-

01. यह कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अधोहस्ताक्षरी से कुछ अनुचित, अवैध व अनैतिक माँगों की पूर्ति करने का दवाब डाला गया जिसे पूर्ण करने से अधोहस्ताक्षरी द्वारा इन्कार कर दिया गया, इसी कारण जानबूझकर, नुकसान कारित करने के उददेश्य से, श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जो अनुचित व अनैतिक माँगों की पूर्ति करने हेतु कहा गया, उनका विवरण निम्नवत हैः-

(a). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के माह मई 2023 में कार्यभार ग्रहण करने पर दिनाँक 21.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई जिसमें श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी से राष्ट्रीय लोक अदालत के उदघाटन के समय प्रातःकाल में नाश्ते के नाम पर दही-जलेबी और चाय तथा लंच के समय मिठायी में मलाई चमचम, काफी, समौसा, नमकीन, बिस्कुट, व फल की व्यवस्था करने के लिए दवाब डाला गया, जिसका सम्पूर्ण खर्चा मैंने स्वयं वहन किया था। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अन्य राष्ट्रीय लोक अदालतों में भी इसी प्रकार से व्यवस्था करने हेतु मुझसे कहा गया, जिसे मेरे द्वारा पूर्ण नहीं किया गया, इसी कारण जानबूझकर इस प्रकार की प्रविष्टि दी गयी है। इसी प्रकार से अन्य लोक अदालतों के अवसरों पर व्यय करने हेतु दवाब डाला गया।

(b). यह कि शेष अन्य राष्ट्रीय लोक अदालत की भाँति, माह मार्च 2024 में दिनाँक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उदघाटन के समय प्रातःकाल में, श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के कहने पर, मेरे द्वारा चाय, नमकीन व बिस्कुट की व्यवस्था अपने ही पैसे से की गयी थी। नाश्ते के दौरान ही श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुझसे कहा गया कि "सचिव साहब आपको लंच में भी इसी प्रकार से दुबारा व्यवस्था करनी होगी।''

(c). श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय, राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु आवंटित धनराशि में से धनराशि बचाकर देने के लिए कहा करते थे, यही कारण है कि वर्ष 2023- 2024 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, NCW के शिविर पर व्यय धनराशि का अभी तक श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

(d). श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय, महिला PLV को अपने आवास पर भिजवाने के लिए मुझ पर दवाब डालते थे जब मैंने इस बावत इन्कार कर दिया तब श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने सभी PLV को जनपद न्यायालय के सभागार कक्ष में बुलवाने हेतु मुझसे कहा कि वह स्वंय, सभी PLV के साथ बैठक करेंगें, सभी PLV को बता दो कि उन्हें अनिवार्य रूप से आना है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में दिनाँक 26. 09. 2023 को सभी PLV को उपस्थित होने का निर्देश प्राप्त होने पर अधिकांश PLV उपस्थित आये और श्रीमान जनपद न्यायाधीश के मौखिक आदेश से सभी PLV अपरान्ह 02:00 बजे से सभागार कक्ष जनपद न्यायालय मे उपस्थित रहे, लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश की अत्यधिक व्यस्तता के कारण सभी PLV जिन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना था, समय लगभग 17:15 बजे अपने-अपने घरों के लिए वापस हो गये, समय लगभग 17:30 बजे के आसपास, जैसे ही यह सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्राप्त हुई कि अधिकांश महिला PLV सभागार कक्ष से जा चुकी हैं, इसी बात से मुझसे बहुत अधिक नाराज होने लगे और कहने लगे कि सभी महिला PLV को तुरन्त वापस बुलाओं। मेरे द्वारा महोदय को अवगत कराया गया कि समय बहुत अधिक हो रहा है, महिला PLV दूर-दराज के क्षेत्रों से आयीं हैं, उन्हें वापस बुलवा पाने में, मैं, असमर्थ हूँ, इसी बात से भी मुझसे अधिक नाराज हो गये और कहने लगे कि मैं, तुम्हारें खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय को लिखूँगा कि तुम मौखिक आदेशों का अनुपालन नहीं करते हो।

(e). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुचित, अनैतिक व अवैध इच्छाओं की पूर्ति न करने पर ही महोदय द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत / सम्बद्व किसी भी कर्मचारी के वेतन / मानदेय का भुगतान नहीं किया गया।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय की उपरोक्त अनुचित व अनैतिक माँगों की पूर्ति न किये जाने से वह मुझसे नाराज रहा करते थे, इसी विद्वेष भाव के कारण, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुझे जानबूझकर नुकसान कारित करने के लिए इस प्रकार की प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दी गयी है।

02. यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न केवल मुझसे बल्कि अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी अनुचित, अनैतिक व अवैध माँगों की पूर्ति करने के लिए दवाब डाला गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

(a). यह कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुचित व अनैतिक माँगों की पूर्ति न करने पर ही श्री अभिनितम उपाध्याय, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति से हटा दिया और उन्होंने भी माननीय न्यायालय से इस बावत महोदय की शिकायत की है।

(b). यह कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुचित व अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति की वजह से तंग व परेशान होकर ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मानिकराम पटेल ने भी माननीय न्यायालय से इस बावत महोदय की शिकायत की है।

(c). यह कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय की अनुचित, अनैतिक व अवैध इच्छाओं की पूर्ति न करने पर श्रीमती गीता, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जनपद न्यायालय बलरामपुर को खलीलाबाद स्थानांतरण होने के बाद भी रिलीव नहीं किया गया जबकि श्री आशीष शर्मा (लिपिक) को काफी पहले रिलीव कर दिया गया। तंग व परेशान होकर श्रीमती गीता द्वारा शिकायत करने पर उसे अविलम्ब रिलीव कर दिया गया।

03. यह कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कार्यकाल के दौरान कभी किसी कर्मचारी का वेतन / मानदेय नहीं रूका बल्कि सभी के वेतन / मानदेय का समय से भुगतान होता रहा, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

(i). कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत स्थायी कर्मचारीगणों में श्री मनोज कुमार(तृतीय श्रेणी

कर्मचारी) व श्री राजेश कुमार गौड (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का माह अप्रैल 2023 तक समय से वेतन आहरित होता रहा लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय से ही श्री मनोज कुमार (तृतीय श्रेणी कर्मचारी) को उनके उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी लखनऊ सम्बद्व किये जाने व स्थानांतरण होने के समय तक एवं श्री राजेश कुमार गौंड (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का माह मई 2023 से आज दिनाँक तक, कभी भी समय से वेतन भुगतान नहीं किया गया।

श्री राजेश कुमार गौंड (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का माह सितम्बर 2023 से माह नवम्बर 2023 (03 माह) तक का वेतन का भुगतान माह दिसम्बर 2023 में (तीन माह बाद) किया गया।

श्री राजेश कुमार गौंड (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का माह मार्च 2024 से माह मई 2024 (03 माह) तक का वेतन दिनाँक 30. 06. 2024 तक भुगतान नहीं किया गया है।

(ii). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा ADR केन्द्र में आउट सोर्सिंग के आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 01. श्री सचिन मिश्रा, 02. श्री राकेश कुमार व कार्यालय D. L. S. A. में सचिव के लिए नियुक्त 03. श्री छत्रपास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ससमय माह मार्च 2023 तक का मानदेय प्रदान किया जाता रहा लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त का माह अप्रैल 2023 से माह जुलाई 2023 तक के मानदेय का भुगतान माह दिसम्बर 2023 में किया गया।

श्री राकेश कुमार का माह अगस्त 2023 व श्री सचिन मिश्रा का माह अगस्त 2023 से माह सितम्बर 2023 के मानदेय का भुगतान माह जनवरी 2024 में किया गया।

श्री छत्रपाल का माह अगस्त 2023 से माह सितम्बर 2023 के मानदेय का भुगतान माह जनवरी 2024 में किया गया।

उपरोक्त को, उनके कार्यरत रहने के दौरान कभी भी ससमय मानदेय भुगतान नहीं किया गया। अन्ततः मजबूर, तंग, हैरान व परेशान होकर उक्त सभी ने अपना योगदान देना बन्द कर दिया। इस प्रकार कार्यालय D. L. S. A. व A. D. R. केन्द्र का कार्य प्रभावित होता रहा जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा , श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को, समय- समय पर अवगत कराया जाता रहा लेकिन आज की तिथि तक उपरोक्त पदों पर भर्ती करने के लिए कोई निविदा श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा आमंत्रित नहीं की गयी है। वर्तमान में उपरोक्त पत्र रिक्त हैं।

(iii). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा ADR केन्द्र में संविदा के आधार पर नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगणों में 01. श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा व 02. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का मानदेय ससमय प्रदान किया जाता रहा लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय से उपरोक्त किसी भी संविदा कर्मचारी का समय से मानदेय प्रदान ही नहीं किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा का माह अप्रैल 2023 से माह मई 2023 (दो माह) तक तथा श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह अप्रैल 2023 से माह नवम्बर 2023 (आठ माह) तक के मानदेय का भुगतान माह जनवरी 2024 में किया गया।

श्रीमती नीतू गौतम सफाई कर्मचारी का माह अक्टूबर 2023 से माह नवम्बर 2023 (दो माह) तक के मानदेय का भुगतान माह जनवरी 2024 में किया गया।

(iv). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा L. A. D. C. S. में नियुक्त मुख्य, उप मुख्य व सहायक विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाताओं को ससमय मानदेय प्रदान किया जाता रहा लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय से मुख्य, उप मुख्य व सहायक विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाताओं का समय से मानदेय प्रदान ही नहीं किया गया, और आज माह जनवरी 2024 से माह मई 2024 तक का मानदेय प्रदान नहीं किया गया है।

(v). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत व राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश से आयोजित महिलाओं के हितों से सम्बन्धित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर पर हुए व्यय का समय से भुगतान किया गया और बैनर, पम्पलेट, सम्मन बनाने वाले दुकानदार का समय से भुगतान होता रहा लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात से आज दिनाँक तक किसी भी राष्ट्रीय लोक अदालत,

विशेष लोक अदालत, विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर पर हुए व्यय का भुगतान नहीं किया गया है , जिस कारण पम्पलेट, बैनर व सम्मन बनाने वाले दुकानदान ने बैनर, सम्मन व पम्पलेट बनाने से, इस आधार पर इन्कार कर दिया कि पहले पूर्व धनराशि का भुगतान किया जाए , और इस तथ्य की सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को मेरे द्वारा मौखिक व लिखित रूप में दी जा चुकी है लेकिन उपरोक्त का भुगतान नहीं हुआ है।

(vi). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कार्यकाल के दौरान सम्बद्व व कार्यरत P. L. V. को माह फरवरी 2023 तक उनके मानदेय का भुगतान कर दिया गया जबकि वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा किसी भी P. L. V. को उनके मानदेय का भुगतान नहीं कराया गया है , इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य का उल्लेख करना अति आवश्यक हैः-

P. L. V. के माह अप्रैल 2023 से माह जुलाई 2023 तक किये गये कार्यों की धनराशि U. P. S. L. S. A. द्वारा मु० तीन लाख बीस हजार चार सौ अस्सी (320480. 00) रूपये आवंटित की जा चुकी थी जिसके भुगतान के लिए श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को पत्र प्रेषित किया गया किन्तु श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान P. L. V. को नहीं किया गया।

P. L. V. के माह अगस्त 2023 से माह फरवरी 2024 तक किये गये कार्यों के भुगतान हेतु मु० चार लाख बारह हजार (412000. 00) रूपये की माँग हेतु पत्र श्रीमान सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल जवाहर भवन , एनेक्सी लखनऊ को प्रेषित किया गया जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अग्रसारण की कोई प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कभी प्रेषित नहीं करायी गयी जिससे प्रतीत होता है कि उक्त पत्र अग्रसारित नहीं हुआ।

किसी भी P. L. V. को उनके किये कार्यों (माह अप्रैल 2023 से माह फरवरी 2024 तक) के एवज में मानदेय प्रदान नहीं किया गया, इस कारण, माह मार्च 2024 से मात्र कुछ P. L. V. को छोड़कर कोई भी P. L. V. अपना योगदान देने नहीं आ रहे हैं, और न ही किसी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं।

(vii). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा A. D. R. केन्द्र में कार्यरत माध्यस्थमों का माह मार्च 2023 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय से आज तक किसी माध्यस्थम के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

(viii). यह कि वर्तमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्थायी लोक अदालत में कार्यरत अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व मानदेय का कभी भी समय से भुगतान नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य भी उल्लेखनीय हैः-

स्थायी लोक अदालत में कार्यरत अध्यक्ष व दो सदस्यों को माह जनवरी 2024 से माह मई 2024 (05 माह) तक के वेतन/ मानदेय का आज दिनाँक तक भुगतान नहीं कराया गया है।

स्थायी लोक अदालत में कार्यरत पेशकार को माह अप्रैल 2023 से आज दिनाँक (13 माह) तक उनके मानदेय का भुगतान नहीं कराया गया है।

(ix). यह कि समस्त न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को माह नवम्बर 2023 का वेतन माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन माह जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह तक प्रदान किया जा चुका है लेकिन मुझ अधोहस्ताक्षरी को माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की भाँति समय से प्रदान ही नहीं किया गया और मेरे द्वारा अनेकों आवेदनपत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश , आहरण एवं वितरण अधिकारी व लेखा लिपिक को दिये जाने के बावजूद आज की तिथि तक मुझे उक्त माह का वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिसका विस्तृत उल्लेख संलग्नक सं० 01 में मेरे द्वारा किया गया है।

04. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय का वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 के कालम 01 (C) "If she/ he is cool minded and does not lose temper in the court" के बावत यह अंकित करना " In monthly meeting he lost his control and started Arguing unnecessarily. "

उक्त प्रविष्टि के बावत अधोहस्ताक्षरी का कथन निम्नवत हैः-

(a). यह कि उक्त कालम की प्रविष्टि न्यायालय कक्ष से सम्बन्धित है, न कि विश्राम कक्ष से। श्रीमान जनपद

न्यायाधीश महोदय ने न्यायालय कक्ष से सम्बन्धित प्रविष्ट को जानबूझकर, मुझ अधोहस्ताक्षरी को क्षति कारित करने के उददेश्य से, विश्राम कक्ष से जोड़ा है।

(b). यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 के सम्बन्ध में है लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि मेरे द्वारा किस माह और किस तिथि की मासिक बैठक में अनावश्यक बहस करना शुरू कर दिया।

(c). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने यह भी कहीं अंकित नहीं किया है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक बैठक में कौन से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया जो गरिमा के विपरीत हैं।

(d). यह कि यदि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी मासिक बैठक में अनावश्यक , अनुचित व गरिमा के विपरीत शब्दों का प्रयोग किया गया होता, तो श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा इस बावत मुझे कोई अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया होता लेकिन ऐसा कोई भी अर्द्ध शासकीय पत्रांक कभी प्रेषित नहीं किया गया और यदि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी मासिक बैठक में अनावश्यक, अनुचित व गरिमा के विपरीत शब्दों का प्रयोग किया गया होता तो निश्चित रूप से , मेरे ऐसे कृत्य की सूचना माननीय न्यायालय को अवश्य प्रेषित की गयी होती। इससे भी स्पष्ट है कि मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में कभी भी किसी भी बैठक में अनावश्यक , अनुचित व गरिमा के विपरीत शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया।

(e). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा उक्त कालम में दी गयी प्रविष्ट व मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा उल्लिखित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने इस तथ्य को उनकी अनुचित व अवैध अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण जानबूझकर, गलत तरीके से अंकित किया है।

05. जनपद न्यायाधीश महोदय का वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 के कालम 01 (h) "Control over the office and Administrative capacity and tact" के बावत यह अंकित करना "Lacking Positively. Please see the attachment."

उक्त प्रविष्टि के बावत अधोहस्ताक्षरी का कथन निम्नवत हैः-

(a). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार से प्रशासनिक क्षमता व कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियन्त्रण पर कमी दर्शित होती है और न ही ऐसे किसी संलग्नक का उल्लेख किया गया है कि किस संलग्नक से ऐसा दर्शित होता है।

(b). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने इस तथ्य को उनकी अनुचित, अवैध व अनैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण जानबूझकर, गलत तरीके से अंकित किया है।

06. जनपद न्यायाधीश महोदय का वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 के कालम 01 (m) "Whether amenable to the advice of the District Judge and other Superior Officers" के बावत यह अंकित करना "Not amenable. He does not cooperate in administration of DLSA. Commits indiscipline as it is obvious from attachments. Without getting letter forward from me he writes to Hon'ble Court directly by sending advance copy."

उक्त प्रविष्टि के बावत अधोहस्ताक्षरी का कथन निम्नवत हैः-

(a). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश की प्रत्येक वैध सलाह का मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा सदैव अनुपालन किया गया। श्रीमान जनपद न्यायाधीश की किसी भी वैध सलाह को मानने से कभी भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा इन्कार नहीं किया गया और न ही उसके अनुपालन में कभी शिथिलता या लापरवाही कारित की गयी।

(b). यह कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का सदैव प्रयास किया गया और अधोहस्ताक्षरी के स्तर के सभी कार्य अधोहस्ताक्षरी ने सदैव समय से पूर्ण किये और जो कार्य, लिपिकीय संवर्ग से सम्बन्धित था , वह कार्य लिपिक द्वारा कराये जाने का सदैव प्रयास किया गया।

(c). यह कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के समय, प्रत्येक कार्य समय पर हो जाता था, और

उसका अनुमोदन/ अनुमति भी समय पर प्राप्त हो जाती थी लेकिन वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यकाल के समय किसी भी कार्य का अनुमोदन/ अनुमति समय पर प्राप्त नहीं होती है, और न ही किसी पत्राँक पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रठांकित की गयी है और न ही कभी मौखिक आदेश इस बावत प्राप्त हुआ।

(d). यह कि जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय को अग्रिम प्रति, बिना श्रीमान जनपद न्यायाधीश के अग्रसारित कराये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित शासकीय पत्रों की कोई पावती प्रशासनिक कार्यालय द्वारा नहीं दी जाती है, इस सम्बन्ध में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को मौखिक व पत्राँकों के द्वारा अवगत करा दिया गया है, उसके बावजूद आज भी शासकीय/ अन्य पत्राँको की कोई पावती नहीं दी जाती है। दिनाँक 30.04.2024 को माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित प्रति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस बावत नोट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

इसी सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जब अधोहस्ताक्षरी के प्रत्यावेदन दिनाँक 30.04.2024 की, अग्रसारण प्रति को अधोहस्ताक्षरी को प्रदान नहीं किया गया तब अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 02.05.2024, 04.05.2024 व 06.05.2024 को पुनः पत्र प्रेषित कर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया गया कि मेरे पत्र दिनाँकित 30.04.2024 को माननीय न्यायालय को अग्रसारित किया जाए। यदि मेरे दिनाँक 30.04.2024 के पत्र को अग्रसारित कर प्रति मुझे प्रदान कर दी जाती तो मुझे दिनाँक 02.05.2024, 04.05.2024 व 06.04.2024 को पत्र प्रेषित किये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती।

(संलग्नक सं० 01. [(a) एवं 1(b))]

(e). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने, अधोहस्ताक्षरी द्वारा, प्रशासनिक कार्यालय द्वारा शासकीय/ अन्य पत्रों की पावती न देने के, किसी तथ्य को इन्कार नहीं किया है।

(f). यह कि अधोहस्ताक्षरी के किसी पत्र की पावती न देने के बावत तथ्य का उल्लेख, अधोहस्ताक्षरी ने अपने प्रत्यावेदन दिनाँक 30.04.2024 में किया है व संलग्नकों में दर्शाया है, इस बावत अन्य पत्रों व डाक वही की छायाप्रति संलग्नक के रूप में संलग्न की जा रही है तथा यह भी उल्लेखनीय है कि पत्राँक सं० 341 दिनाँकित 08.08.2024 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया और श्रीमान जनपद न्यायाधीश के कहने पर बाद में काट दिया गया, जिसकी प्रति विशेष रूप से संलग्नक की जा रही है, जिसकी प्रति संलग्नक सं० 02 (a) के पेज सं० 15 के रूप में संलग्न है। **(संलग्नक सं० 02. [(a), 02. (b), 02. (c) एवं 02. (d)]**

07. जनपद न्यायाधीश महोदय का वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 के कालम 02 "Over all assessment of the merit of the officer (Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)" के बावत यह अंकित करना "Average."

उक्त प्रविष्टि के बावत अधोहस्ताक्षरी का कथन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने, मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनकी अनुचित, अवैध व अनैतिक माँगों की पूर्ति नहीं की जिसका उल्लेख अधोहस्ताक्षरी ने दि० 30.04.2024 के प्रत्यावेदन में किया है, इसी कारण दुर्भावना व पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मुझे, प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान दी है।

08. जनपद न्यायाधीश महोदय का वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-2024 के कालम 04 "Other remarks, if any" के बावत यह अंकित करना " He is in habbit of moving application under right to information act seeking information regarding administrative orders. It Seems that he considers his personal interest above institutional interest. Please see attachment.

Without applying for leave for absent days in the month of November and December he wants salary of entire month including his unauthorised absence and wrote letter to Hon'ble and sent in advance without getting it forward from me.

He has moved application to the RG without getting it forward from thus behaving in indisciplined manner. "

उक्त प्रविष्टि के बावत अधोहस्ताक्षरी का कथन निम्नवत है:-

(a). यह कि जब श्रीमान जनपद न्यायाधीश के मौखिक निर्देश पर लेखा लिपिक ने, मुझ अधोहस्ताक्षरी का माह नवम्बर 2023 व दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 01.01.2024 तक प्रदान नहीं किया गया, तब मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम बार दिनाँक 05.01.2024 को आवेदनपत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को दिया गया जिसका विस्तृत उल्लेख संलग्नक सं० 01 में किया गया है।

(b). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा उक्त माह का वेतन मुझ अधोहस्ताक्षरी को प्रदान न करने पर मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस तथ्य को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति / माननीय न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के, माह फरवरी 2024 में जनपद बलरामपुर में आगमन पर अवगत कराया गया था।

(c). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने, मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष लोक अदालत के एवज में दिनाँक 14.08.2023 का प्रतिकर अवकाश प्रदान करने के प्रार्थनापत्र को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने जानबूझकर, दुर्भावनापूर्वक व पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथा माननीय न्यायालय के सर्कुलर आर्डर का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से तीन (03) बार निरस्त किया गया जबकि चौथी (04) बार स्वीकृत किया गया।

<u>(संलग्नक सं० 03)</u>

(d). यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने, मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा, प्रेषित पत्राँक दिनाँकित 15.03.2024 जिसे श्री मनोज कुमार, लिपिक, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी लखनऊ द्वारा दिनाँक 15.03.2024 को तैयार किया गया था (श्री मनोज विशेष निवेदन पर केवल मानदेव/ वेतन तैयार करने हेतु दिनाँक 15.03.2024, 16.03.2024, 27.03.2027 व दि० 28.03.2024 को आये थे) जिस पर श्रीमान जनपद न्यायधीश महोदय द्वारा आज की तिथि तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त पत्र पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने विश्राम कक्ष मे दिनाँक 28.03.2024 को श्री मनोज कुमार व श्री अनिमेष कुमार रावत की मौजूदगी में स्वयं बोलकर, श्री अनिमेष से गलत तरीके से आख्या अंकित करवायी। इस तथ्य की जानकारी मुझ अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त मुख्य/ उप मुख्य/ सहायक विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाता के संज्ञान में है। इस बावत अधोहस्ताक्षरी के पास पर्याप्त साक्ष्य है। **<u>(संलग्नक सं० 04)</u>**

(e). यह कि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बावत मिनट तैयार कर हस्ताक्षर हेतु श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रत्येक माह के प्रेषित किये गये लेकिन आज तक एक भी मिनट पर महोदय के हस्ताक्षर होकर प्राप्त नहीं हुए हैं, इसी कारण समिति के सदस्यों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हो पाये हैं।

(f). यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) सं०- 406/2013 Re Inhuman Condition in 1382 Prisions में निर्गत मा० उच्च्तम न्यायालय के आदेश दिनाँक 30.01.2024 के अनुक्रम में कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग -04 उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दि० 13.02.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 19.02.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 01.03.2024 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार जनपद बलरामपुर में गठित समिति की बैठक दि० 04.04.2024 पर भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये। **<u>(संलग्नक सं० 05)</u>**

(g). यह कि मुझ अधोहस्ताक्षरी ने पत्राँक सं० 279 दि० 10.05.2024, श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को अग्रसारित करने हेतु प्रेषित किया जिसकी प्रति प्रशासनिक कार्यालय में ले ली गयी, न तो कोई पावती दी और न ही पत्र अग्रसारित होकर प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुई, अधोहस्ताक्षरी ने माननीय न्यायालय को ई-मेल भी प्रेषित किया। **<u>(संलग्नक सं० 06)</u>**

(h). यह कि कार्यालय लिपिक ने अपनी आख्या दिनाँकित 29.06.2024 द्वारा अवगत कराया है कि

PLV के माह अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक किये गये कार्यों के भुगतान मु० 320480. 00 रूपये आवंटित किये जाने के बावत पत्रांक सं० 193/ DLSA/ Bal. / 2024 Dated 28. 03. 2024 व माह अगस्त 2023 से माह फरवरी 2024 तक किये गये कार्यो के मानदेय के मु० 412000. 00 भुगतान हेतु आवंटित किये जाने के बावत उचित माध्यम से पत्रांक सं० 189/ DLSA/ Bal. / 2024 Dated 28. 03. 2024, तत्पश्चात पत्रांक सं० 192/ DLSA/ Bal. / 2024 Dated 29. 03. 2024 को प्रेषित किया गया तथा श्रीमान जनपद न्यायाधीश के आदेश दि० 29. 03. 2024 के अनुपालन में पत्रांक सं० 197/ DLSA/ Bal. / 2024 Dated 31. 03. 2024 को प्रेषित किया गया, तथा उपरोक्त पत्रावलियों पर कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही पत्रावलियों की पावती कार्यालय में प्राप्त हुई है। **(संलग्नक सं० 07)**

(i). यह कि जब दिनाँक 15. 03. 2024 को LADC व अन्य के बिल वाउचर पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भुगतान हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी, तब अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को फोन द्वारा अधोहस्ताक्षरी ने अवगत कराया था और पुनः दिनाँक 16. 03. 2024 से दिनाँक 28. 03. 2024 तक श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, जब LADC व अन्य के बिल वाउचर पर भुगतान हेतु अनुमति प्रदान नहीं की गयी तब अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 29. 03. 2024 को पुनः श्रीमान सदस्य सचिव को अवगत कराया गया था।

अधोहस्ताक्षरी के विशेष निवेदन पर, श्रीमान सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा श्री मनोज कुमार लिपिक को लखनऊ से बलरामपुर केवल वेतन/ मानदेय प्रपत्र तैयार करने हेतु दिनाँक 15. 03. 2024, 16. 03. 2024, 27. 03. 2024 व 28. 03. 2024 को भेजा गया लेकिन श्रीमान महोदय द्वारा उक्त अवधियों में उक्त लिपिक द्वारा तैयार किये गये किसी बिल वाउचर को अनुमति प्रदान नहीं की।

दिनाँक 31. 03. 2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के मुख्यालय पर न रहने के कारण श्री विनोद कुमार, आहरण एवं वितरण अधिकारी / अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश SC/ ST (P. A.) Act के द्वारा अन्य बिल वाउचर पर भुगतान हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी।

09. यह कि श्रीमान महानिबन्धक महोदय द्वारा प्रेषित सर्कुलर लेटर नं० 04/ 2024/ C. f. Allahabad : 02 March, 2024 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा यह प्रविष्टि दिनाँक 31. 05. 2024 तक दी जानी चाहिए थी जो कि माननीय न्यायालय द्वारा नियत समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात दिनाँक 04. 06. 2024 को अनुचित तरीके से दी गयी है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कृपा करें तथा माननीय न्यायालय से करबद्व निवेदन है कि मुझ प्रार्थी के प्रत्यावेदन में वर्णित आधारों व संलग्न , संलग्नकों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2023- 2024 में दी गयी प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को निरस्त (Expunge) कर उचित प्रविष्टि दिये जाने की महती कृपा करने की कृपा करें। प्रार्थी माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा।

भवदीय

दिनाँकः 02. 07. 2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।